791/CR/2015
20.7.15

संख्या-22/2015/ 958 /38-4-15-01(बजट)/2015

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,

सचिव,

उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास

उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 13 जुलाई, 2015

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2015-16 के लिए अनुदान संख्या-13 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-21/2015/592/38-4-15-01(बजट)/15, दिनांक-15 जून, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2015-16 के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि रू0-740.079 करोड़ धनराशि में से अवशेष रू0-555.05925 करोड़ (रूपये पाँच अरब पचपन करोड़ पाँच लाख बानवे हजार पाँच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक 20-02-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। साथ ही वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(3) उक्त धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब योजनान्तर्गत ग्रामों के चयनित लाभार्थियों की सूची मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

(4) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके पश्चात् ही किया जायेगा ।

(5) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से व्यय कर लिया जायेगा ।

2/-